

25/10/24 - च.क. 34/ गतिपत्रि नवेवाय. 2 की मोर
 एत. पत्र वेगरे के वकासतकाल पेवा
 डोया तथा लहखीगडार चौथे बने
 प्राप्त हुये को ब्राकिग पत्रावली
 प्र. पत्र 0/10/0 नप इकतीवेग सूची के
 इकतीवेग पेवा ठिके डोया को ब्राकिग
 पत्रावली किया डोया प्र. पत्र प्रव-रुत कले
 गिगत हेरफाग आपरयक रूप से पेवा
 फवरे डेटु पावन्डु किया जात है पत्रावली
 वाकले डीविग कार्यवली डेटु डिगाफ
 28/10/24 को चेवा

98/2024
 दिनांक आता या
 कार्यवली

28/10/24 - च.क. 34/ इकतीवेग सूची के साथ इकतीवेग
 पेवा किया डोया तथा वाडी रूपेय के डारा
 प्र. पत्र 0/10/0 का पेवा किया डोया निरुसफी
 वकाग डिगाट जाकर ब्राकिग पत्रावली किया
 डोया प्र. पत्र 0/10/0 डिगाफ 25/10/24 व डिगाफ
 28/10/24 पर अधिवक्ता इकपपत्रकारणकी
 रगी है ही बहस डेटु विवेक करके पर
 बहस प्र. पत्रावली की अठे प्र. पत्रो एवं
 पत्रावली का उपलोकन किया डोया बहस
 प्र. पत्र अधिवक्ता इकपपत्रकारण पर कण
 किया डोया प्रकृतकर्ता 0/10/0 का प्रकपत्रो
 से एक ही विक्रय. पत्र के डारा डिगाफ
 7/3/1997 का विक्रय. पत्र के आचार
 इति रूप हुआ बतायी ताकर पत्रकार बगैर
 डरने डेटु विवेक किया गया है
 जबकि प्र. पत्र प्रकृतकर्ता डो के डारा
 डिगाफ तक इतर विक्रय. पत्र के आचार
 मारी

पुस्तक संख्या १८/२०२५

फर्द अहकाम
चरण कुमार बनाम इन्दिरा डेपी गर्क

नाम न्यायालय
 केस संख्या १८/२०२५

पाह

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>अपना बाग बागवत्त विकसित के अभाव गरी जकपाय) बाया/वाडी का वाड लककपण एवं ब्याह विवेचन का है। लककपण के माग को बागवत्त विकसित के अभाव कपट- कपालेहार का इतरको के मध्य डपे हिकसे के अइसर ही होना है। प्रापत्र प्रकलकली एक वाडी कपेप ही है एवं एक वाडी का माह है। प्रकल विकप-पत्र उप-परीयक चोग के बिकरके विकप-पत्र लकडीक हुमा के उपर विकप-पत्र के कप हुडा अगि का दयाग गरी होना के अभाव सुवीकण है। प्रिकरके कपट होना है कि प्रा.पत्र ०।२।० डिकोक २५/१०/२५ एवं २८/१०/२५ के माग मात्र प्रकरण के विकलकरण गे डेकीण करके की वाकण प्रकलता, जाग वसकर फिये जा रहे है। उपर डोगे प्रा.पत्र वेवा एवं मीच विकरु प्रकलता फिये बाये है। वाडी का वाड लककपण का होने के कारण ०।२।० के प्रा.पत्र डोगे पोषणीय (main table) गरी होने के कारण कपविक्रिण किमा जाग ब्याकोपि महीत होत है।</p> <p>डतर ०।२।० प्रा.पत्र डिकोक २५/१०/२५ एवं २८/१०/२५ को कपविक्रिण किमा माला है। तथा लककीमहार चौकुरे</p>	

सहायक कलकल
 (फास्ट डेक)
 बांग (जयपुर)

फर्द अहकाम

श्रवण कुमार बनाम इन्दिरा देवी कर्को

नाम न्यायालय

केस संख्या 98/2024

वाद

न्यायालय सहायक कलक्टर पीठासीन अधिकारी

मा नं :- 98 / 2024

1. श्रवण कुमार पुत्र पोखराम

1. इन्दिरा देवी पत्नी स
2. कजोडमल पुत्र गणेश
3. उपपंजीयक, उपपं
4. राजस्थान सरकार

दिनांक 2
विभाजन
चौमूं :-
दस्ता
निर्देश
3

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>प्राप्त कुरेगात पर बहव इन्दिरा देवी उपपत्तिकाश की सुनी गिरीबहव पर मन्त्र किया गया। कुरेगात एवं पत्रावली किया हुआ कुरेगात किया गया। तहसीलदार चोमूं के प्राप्त कुरेगात पर वाडी एवं प्रतिवाडी बाण के द्वारा किसी प्रकार के आपत्ति / एतवारण प्रकृत गही किया गया है। ऐसे के वाडी का बूड तहसीलदार चोमूं के प्राप्त कुरेगात के आधार अन्तिम इसी किया जाता है। इसी पचात गरी है। गिरीप हचक के मन्त्र जाकर आपत्ति पत्रावली किया गया। पत्रावली के वाण्डु गार हेकर इप कठवर के का है। तथा डारिपण हपतर है। गिरीप रूपेण क्याया के सुनाया गया।</p>

मन्त्र
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूं, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं० :- 98/2024

उनवान

1. श्रवण कुमार पुत्र पोखरमल जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
-वादी-

बनाम

1. इन्दिरा देवी पत्नी सुण्डाराम, जाति स्वामी, निवासी श्याम नगर बैनाड जयपुर, जिला जयपुर।
2. कजोडमल पुत्र गणेश, जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ0 धारा 53 व 188 रा0का0 अधिनियम 1955**


निर्णय

दिनांक:-28.10.2024

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2024 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 23.10.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 674 के खसरा नम्बर 689 रकबा 2.06 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 2.06 हैक्टेयर वाके ग्राम हाडोता, पटवार हल्का हाडोता, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया तहसील चौमूं जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

4. श्रवणकुमार पुत्र पोखरमल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर, सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 689/2 रकबा 0.4716 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4716 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. कजोडमल पुत्र गणेश हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 689/1 रकबा 0.0236 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0236 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
6. इन्दिरा पत्नी सुण्डाराम हिस्सा पूर्ण जाति स्वामी निवासी श्यामनगर बैनाड जयपुर खातेदार को खसरा नम्बर 689/3 रकबा 1.5648 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.5648 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूं
(फा0ट्रै0/मुख्यालय) चौमूं
चौमूं (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठारसीन अधिकारी :- कनक जैन(R.A.S.)

उनवान

1. श्रवण कुमार पुत्र पोखरमल जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

बनाम

-वादी-

1. इन्दिरा देवी पत्नी सुण्डाराम, जाति स्वामी, निवासी श्याम नगर बैनाड जयपुर, जिला जयपुर।
2. कजोडमल पुत्र गणेश, जाति अहीर, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-98/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू कनक जैन आरएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

1. श्रवणकुमार पुत्र पोखरमल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर, सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 689/2 रकबा 0.4716 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4716 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. कजोडमल पुत्र गणेश हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 689/1 रकबा 0.0236 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0236 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. इन्दिरा पत्नी सुण्डाराम हिस्सा पूर्ण जाति स्वामी निवासी श्यामनगर बैनाड जयपुर खातेदार को खसरा नम्बर 689/3 रकबा 1.5648 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.5648 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह

..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.10.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

(म न)
दस्तखत कल-आ
ओहकारी (फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	1
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

mnf
 सहायक
 (फास्ट
 वीमें (जयपुर)